बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

संख्या–वन पर्या०–01 / 2013(खण्ड–2) /प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक–.....

सेवा में,

* अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना

द्वाराः * वित्त विभाग,
बिहार, पटना

विषय :– बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर के स्थायी स्थापना के तहत सृजित शैक्षणिक पद असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतन स्तर को संशोधित करते हुए वेतन स्तर–10 निर्धारित किये जाने की स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत।

महाशय,

बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–2393 दिनांक–05.05.2026 **(अनुलग्नक–1)** द्वारा शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक के कुल 250 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत्यादेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद (शैक्षणिक पद) का वेतन स्तर–09 निर्धारित किया गया है।

2. कृषि विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–960 दिनांक–09.03.2019 **(अनुलग्नक–2)** द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर एवं इसके अंगीभूत महाविद्यालयों एवं शोध संस्थान के कार्यरत शिक्षक / वैज्ञानिक के लिए पुनरीक्षित वेतनमान औपबंधिक रूप से स्वीकृत किया गया है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतन स्तर–10 निर्धारित किया गया है।

3. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) द्वारा उक्त संकल्प के आलोक में बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर के लिए सृजित असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतन स्तर में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।

4. उक्त अनुरोध के आलोक में बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर के स्थायी स्थापना के तहत सृजित शैक्षणिक पद असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतन स्तर को संशोधित करते हुए वेतन स्तर–10 निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. वेतन स्तर में संशोधन होने के उपरांत उस पर भारित होने वाला संशोधित व्यय भार **(अनुलग्नक–3)** के रूप में संलग्न है।

6. प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक–13.10.2026 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–9838 / वि० दिनांक–22.10.2026 द्वारा प्रस्ताव अनुशंसित है।

7. दिनांक–10.11.2026 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–12 के रूप में प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह० / –

(पूनम कुमारी)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–वन/पर्या०–01/2013 (खण्ड–2) /प०व० पटना– 15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(पूनम कुमारी)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–वन/पर्या०–01/2013 (खण्ड–2) /प०व० पटना– 15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/कुलपति, सबौर कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना प्रशिक्षण एवं विस्तार, बिहार, पटना/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर/वन संरक्षक, भागलपुर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(पूनम कुमारी)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–वन/पर्या०–01/2013 (खण्ड–2) /प०व० पटना– 15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक–10.11.2026 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–12 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत प्रस्ताव के अनुपालन के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(पूनम कुमारी)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–वन/पर्या०–01/2013 (खण्ड–2) 7152 /प०व० पटना– 15, दिनांक–12/11/26

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के वरीय प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/11/26

(पूनम कुमारी)

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक – 1

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

संख्या–वन पर्या०–01 / 2013(खण्ड–2) /प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक–.....

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

* अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा: * वित्त विभाग,
बिहार, पटना

विषय :– बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर के स्थायी स्थापना के तहत पठन–पाठन कार्य के सुचारू संचालन तथा विभागीय प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों हेतु पूर्व से सृजित 85 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए विभिन्न कोटि के कुल 250 पदों के सृजन की स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत।

महाशय,

राज्य में वानिकी एवं उससे जुड़े क्षेत्रों के संबंध में शोध एवं प्रशिक्षण कार्य तथा शैक्षणिक पाठ्यक्रम संचालित करने के उद्देश्य से मुंगेर जिला अन्तर्गत बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान (BFCRI), मुंगेर के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–5375 दिनांक–04.10.2025 (परिशिष्ट–1) द्वारा विभिन्न कोटि के कुल 85 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. विभागीय संकल्प संख्या–2946 दिनांक–08.10.2024 द्वारा इस संस्थान के दो भाग निर्धारित किये गये हैं, जिसके एक भाग में वानिकी महाविद्यालय का संचालन एवं दुसरे भाग में शोध संस्थान होगा। उक्त के आलोक में बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान (BFCRI), मुंगेर को स्थापना अन्तर्गत पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के 85 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए ₹24,72,24,456/– (चौबीस करोड़ बहत्तर लाख चौबीस हजार चार सौ छप्पन रूपये) मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर विभिन्न कोटि के कुल 250 पदों के सृजन की स्वीकृति संलग्न परिशिष्ट–2 के अनुरूप कोटिवार पदों की संख्या एवं वेतन स्तर के अन्तर्गत निम्न विवरणी के अनुरूप दी जाती है।

(A) प्रशासनिक कार्यों, शोध एवं प्रशिक्षण हेतु पदों का विवरण

क्र.सं.	प्रस्तावित पदनाम	वेतन स्तर	पदों की संख्या
1	**निदेशक** (मुख्य वन संरक्षक अथवा उससे अन्यून)	14	1
2	**संयुक्त निदेशक** (उप वन संरक्षक)	12	1
3	**सहायक निदेशक** (सहायक वन संरक्षक)	9	1
4	**अनुदेशक–सह–वन क्षेत्र पदाधिकारी** वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (प्रशासन–1, शोध–1, प्रशिक्षण–1)	6	3
5	पर्सनल असिस्टेंट	6	3
6	प्रधान लिपिक	6	2

7	स्टेनोग्राफर	4	3
8	वनपाल	5	12
9	वनरक्षी	3	10
10	उच्चवर्गीय लिपिक	4	2
11	निम्नवर्गीय लिपिक (i) निदेशक कार्यालय–1 (ii) संयुक्त निदेशक–1 / सहायक निदेशक–1(कार्यालय– 1+1=2) (iii) वन क्षेत्र कार्यालय–3	2	6
12	अमीन	3	2
		कुल	46

(B) शैक्षणिक पदों का विवरण			
क्र.सं.	पदनाम	वेतन स्तर	पदों की संख्या
1	प्रोफेसर (डीन)	14	1
2	प्रोफेसर	14	12
3	एशोसिएट प्रोफेसर	13A	24
4	असिस्टेंट प्रोफेसर	9	36
5	असिस्टेंट लाईब्रेरियन	–	1
		कुल पद	**74**

(C) गैर शैक्षणिक पदों का विवरण			
क्र.सं.	पदनाम	वेतन स्तर	पदों की संख्या
1	असिस्टेंट कम्प्रट्रोलर	09	1
2	असिस्टेंट रजिस्ट्रार	09	1
3	फार्म मैनेजर	06	8
4	टेक्निकल असिस्टेंट	07	20
5	निम्नवर्गीय लिपिक	02	12
6	उच्चवर्गीय लिपिक	04	6
7	प्रधान लिपिक	06	2
8	ऑफिस सुप्रीटेंडेंट	07	1
9	स्टेनोग्राफर	04	10
10	पर्सनल असिस्टेंट	06	2
11	फोटोग्राफर एण्ड विडियोग्राफर	06	1
12	फिल्ड ऑभरसियर	-	10
13	लैब असिस्टेंट	-	20
14	फॉरेस्ट सुपरवाईजर	-	10
15	फॉरेस्टर	05	06
16	लैब अटेंडेंट	01	20
		कुल पद	**130**
		कुल (A)+(B)+(C)=(46+74+130) =	**250**

3. उपर्युक्त के तहत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–5375 दिनांक–04.10.2025 द्वारा सृजित विभिन्न कोटि के कुल 85 पदों के प्रत्यर्पण के फलस्वरूप बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर के स्थापना अन्तर्गत कुल 250 पद हो जायेंगे।

4. सृजित पदों पर होने वाले व्यय का विकलन सुसंगत विषय शीर्षों के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा।

5. उपरोक्त प्रत्यर्पण एवं पद सृजन के प्रस्ताव पर दिनांक–29.04.2026 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक (मद संख्या–32) में स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह०/–
(आलोक कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :–वन/पर्या०–01/2013 (खण्ड–2) /प०व० पटना– 15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(आलोक कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :–वन/पर्या०–01/2013 (खण्ड–2) /प०व० पटना– 15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/कुलपति, सबौर कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना प्रशिक्षण एवं विस्तार, बिहार, पटना/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर/वन संरक्षक, भागलपुर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(आलोक कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :–वन/पर्या०–01/2013 (खण्ड–2) /प०व० पटना– 15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक–29.04.2026 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–32 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत प्रस्ताव के अनुपालन के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(आलोक कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :–वन/पर्या०–01/2013 (खण्ड–2) 2393 **/प०व० पटना– 15, दिनांक–** 05/5/26

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के वरीय प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/5/26

(आलोक कुमार)
विशेष सचिव

अनुलग्नक-2

बिहारसरकार
कृषि विभाग।

संकल्प

विषयः बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर एवं इसके अंगीभूत महाविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के कार्यरत शिक्षक/वैज्ञानिक के लिए दिनांक– 01 जनवरी, 2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान की औपबंधिक रूप से स्वीकृति के संबंध में।

केन्द्रीय उच्च शिक्षा विभाग के पत्र संख्या 1-7/2015-U.II(1) दिनांक 02 नवम्बर 2017 द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षक कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पत्र संख्या 1(4)/2017-Per.IV दिनांक 27.03.2018 के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों के लिए उसी तर्ज पर वेतन पुनरीक्षण किया गया है। केन्द्रीय उच्च शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के द्वारा किये गये वेतन पुनरीक्षण के आलोक में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं वैज्ञानिकों का वेतन पुनरीक्षण की औपबंधिक स्वीकृति निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है,

विद्यमान वेतनमान	औपबंधिक पुनरीक्षित वेतन स्तर
असिस्टेंट प्रोफेसर–कम–जुनियर साईंटिस्ट/असिस्टेंट लाइब्रेरियन (वेतनमान– 15600–39100 आर.जी.पी./ए.जी.पी 6000)	असिस्टेंट प्रोफेसर–कम–जुनियर साईंटिस्ट/असिस्टेंट लाइब्रेरियन एकेडमिक/रिसर्च वेतन स्तर 10 (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू० 57700)
असिस्टेंट प्रोफेसर–कम–जुनियर साईंटिस्ट/असिस्टेंट लाइब्रेरियन (वेतनमान– 15600–39100 आर.जी.पी./ए.जी.पी 7000)	असिस्टेंट प्रोफेसर–कम–जुनियर साईंटिस्ट/असिस्टेंट लाइब्रेरियन एकेडमिक/रिसर्च वेतन स्तर 11 (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू० 68900)
असिस्टेंट प्रोफेसर–कम–जुनियर साईंटिस्ट/असिस्टेंट लाइब्रेरियन (वेतनमान– 15600–39100 आर.जी.पी./ए.जी.पी 8000)	असिस्टेंट प्रोफेसर–कम–जुनियर साईंटिस्ट/असिस्टेंट लाइब्रेरियन एकेडमिक/रिसर्च वेतन स्तर 12 (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू० 79800)
एसोसिएट प्रोफेसर–कम–सीनियर साईंटिस्ट/डिपटी लाइब्रेरियन (वेतनमान– 37400–67000 आर.जी.पी./ए.जी.पी 9000)	एसोसिएट प्रोफेसर–कम–सीनियर साईंटिस्ट/डिपटी लाइब्रेरियन एकेडमिक/रिसर्च वेतन स्तर 13ए (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू० 131400)
प्रोफेसर–कम–चीफ साईंटिस्ट/एसोसिएट डीन/एसोसिएट डायरेक्टर/रजिस्ट्रार/विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष/ (वेतनमान– 37400–67000 आर.जी.पी./ए.जी.पी 10000)	प्रोफेसर–कम–चीफ साईंटिस्ट/एसोसिएट डीन/एसोसिएट डायरेक्टर/रजिस्ट्रार/विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष/ एकेडमिक/रिसर्च वेतन स्तर 14 (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू० 144200)
कुलपति (75000 नियत वेतन एवं 5000 विशेष वेतन)	कुलपति (210000 नियत वेतन एवं 5000 विशेष वेतन)

स्नातकोत्तर स्तरीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को पूर्व की भांति 3000.00 (तीन हजार) रू० विशेष भत्ता तथा स्नातक स्तरीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को पूर्व की भांति 2000.00 (दो हजार) रू० प्रति माह विशेष भत्ता अनुमान्य होगा। उपरोक्त वेतनमान/एकेडमिक/रिसर्च वेतन स्तर में वेतनमान की गणना,उच्च शिक्षा के लिए इन्सेन्टिव, इंक्रिमेंट की तिथि, प्रोमोशन के परिप्रेक्ष्य जैसा का निर्धारण उसी प्रकार की जायेगी जिस प्रकार से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् [illegible]

Bihar Agricultural University V.C. Cell 27882 12/3/19 Sabour, Bhagalpur-813210

D. A. Cell D.No. 86 Date 12/03/19

(11)

गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का संदर्भित पत्र अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है। आवश्यकतानुसार कृषि विभाग द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जा सकता है।

3. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के द्वारा अपने वैज्ञानिकों का वेतन पुनरीक्षण का लाभ 01.01.2016 के प्रभाव से दिया गया है। तदनुसार विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मियों को दिनांक– 01/01/2016 के प्रभाव से औपबंधिक रूप से वेतन पुनरीक्षण का लाभ देय होगा।

4. मंहगाई भत्ता की अनुमान्यता राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दर से दिया जायेगा। मकान किराया भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता राज्य कर्मियों के समान अनुमान्य किया जायेगा।

5. सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों/शैक्षणिक कर्मियों का पेंशन का निर्धारण भारत सरकार/आई.सी.ए.आर. के द्वारा विहित प्रावधान के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। पेंशन निर्धारण की यह व्यवस्था बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के साथ–साथ तत्कालीन राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के वैज्ञानिकों/शैक्षणिक कर्मियों के संबंध में भी लागू की जायेगी।

6. वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप राशि की गणना विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी तथा विश्वविद्यालय के मांग के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रतिबद्ध/राज्य स्कीम से संबंधित बजट शीर्ष में बजट उपबंध के अधीन वित्त विभाग/सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त कर उपबंधित राशि के अधीन राशि विमुक्त की जायेगी।

7. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर एवं इसके अंगीभूत महाविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के कार्यरत शिक्षक/वैज्ञानिक के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 के प्रभाव से वैचारिक रूप से पुनरीक्षित वेतन स्तर की औपबंधिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। वित्त विभाग से अंतिम रूप से परामर्शित पुनरीक्षित वेतन स्तर के आधार पर यदि औपबंधिक रूप से भुगतान की गयी राशि अधिक/कम होती है तो तदनुसार वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। बकाया भुगतान के संबंध में वित्त विभाग के परामर्श से किस्तों में व्यवस्था की जायेगी।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु तुरंत प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

8.3.2019

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 4/सचिवा०कृ०वि०–8/10– 960 /कृ०, पटना दिनाकः 09.03.2019

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग (ई.गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

8.3.2019

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 4/सचिवा०कृ०वि०–8/10– 960 /कृ०, पटना दिनाकः 09.03.2019

प्रतिलिपिः महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर/कुलपति, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.3.2019

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुलग्नक–03

बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के अधीन निम्नलिखित पदों के सृजन की व्यय विवरणी।

शैक्षणिक पद

क्र० सं०	पदनाम	पे लेवल	पदों की संख्या	वेतन प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति	एक माह का कुल वेतन	एक माह का महँगाई भत्ता @60%	एक माह का परिवहन भत्ता	एक माह का चिकित्सा भत्ता	एक माह का मकान भत्ता @ 20%	01 माह का वेतन एवं अन्य भत्ता का योग (6 to 10)	12 माह का वेतन एवं अन्य भत्ता का योग	कुल पदों के विरूद्ध 12 माह का वेतन एवं अन्य भत्ता का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	असिस्टेंट प्रोफेसर	L-10	36	57700	57700	34620	4000	1000	11540	108860	1306320	47027520

(पूनम कुमारी)
सरकार के अपर सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बिहार, पटना।